

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- एफ()सर्वे/उवस/2018-19/ 13073

दिनांक :- 15.10.18

निमित्त,

सचिव नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर।

विषय :- प्रपोजल संख्या FP/RJ/ROAD/34144/2018 प्रस्तावित Service Road श्रीगंगानगर में
प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.99 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ :- श्रीमान शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार का पत्रांक प.1(48)वन/2018 दिनांक
05.10.18

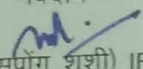
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 05.10.18 जिसकी प्रति प्रयोक्ता एजेन्सी को भी पृष्ठांकित है, मे निम्न शर्तों की पालना प्रयोक्ता एजेन्सी से अपेक्षित की गई है। अतः राज्य सरकार की उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जो शीघ्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त होनी है कि प्रत्याक्षा में निम्न शर्तों की पालना भिजवाये :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु 11,39,344/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 5,69,672/- रु. जमा करावे। (आनलाईन आवेदन किये जाने के समय वृक्षारोपण हेतु 10,75,155/- प्रति हैक्टर की दर से 5,37,577.5/- रु. निर्धारित किये गये थे, जो कि श्रमिक दर 201/- रु. प्रति दिन पर आधारित है। वर्तमान में श्रमिक दर 213/- रु. प्रति दिन होने के कारण 11,39,344/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 5,69,672/- रु. जमा करावे।)
2. डायवर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि 0.99 हैक्टर हेतु 4.38 लाख प्रति हैक्टर की दर से राशि 4,33,620/- रुपये जमा करावे।
3. पातन किये जाने वाले 8 वृक्षों का मूल्य राशि रु. 33,104/- जमा किया जाना है।
4. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 की कुल निधियां 10,36,396/- रु. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि कैम्पा मद में जमा की जायेगी।
5. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
7. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखवाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
8. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.)की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना अधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जावेगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की राशि की बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त सभी शर्तों की पालना कर विन्दुवार पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
संलग्न :- सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति।

भवदीय

(सुपौंग शशी) IFS
उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

क्रमांक :- सम/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

1
उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर